

संयुक्त मुख्य पृष्ठ उपर पत्रावरण

वाद संख्या :- 141/19

टी०आर०नं०

वादी :- तिलेश्वर मंडल वगैरे

रजित कुमार मंडल वगैरे

प्रतिवादी

घारा 145

दं०प्र०सं०

निर्णय की तिथि :-

अभिलेखागार में प्राप्त होने की तिथि :-

क्रमांक	कागजात की विवरणी	पन्नों की संख्या	स्टाम्प का मूल्य
9	2	3	8
	आदेश फलक		
	पुलिस रिपोर्ट 1836/19 दि० 09/11/2019		
	सर्विस रिपोर्ट		
	डिपोजिसन		
	कारण पृच्छा		
	आवेदन <u>प्रथम पक्ष के द्वारा दि० 25/10/2019 से किया गया।</u>		
	दाखिल कागजात की सूची		
	उपस्थिति 22/11/2019, 13/12/19, 03/1/19		
	वकालतनामा <u>प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष</u>		
	अन्यान्य		

योग :-

प्रमाणित किया जाता है कि
सटा हुआ है।

रुपये का टिकट
बी० सी०

12/10/19

अभिलेख उपस्थापित ।
उभय पक्ष उपस्थित ।

कावेडी

12/10/19
जमुण दण्डाधिकारी
बगोदा-सदिया

03/10/19

अभिलेख उपस्थापित । माना प्रभारी सरिया
का जापोठ 1836/19 दिनांक 09/10/19 पर
पार्थि प्रतिवेदन प्राप्त । नोटिस निर्गत करी

कार्यालय बगोदा-सदिया
बगोदा-सदिया (पि.डी.ओ.)

प्यारा 145 60 प्रो से के तहत कार्रवाई

आवेदक तिमेश्वर मंडल को पौ खर मुखी
मंडल साठ अट्टयाताई के द्वारा प्राधिकृत
अधिकारता के माध्यम से निम्न भूमि को
प्यारा 145 60 प्रो से के तहत कराने के लिए
आवेदन दाखिल कर अकरोध किया गया ।
पिछले दिनांक पर शंजित कुमाल मंडल पौ
भाबजी दाव एवं अन्य 3, साठ औरिया

शाना हजादीकर वर्तमान वता अनुमंल
 काप्रविद्य कोपर-सिया ' बनाया जमा
 ही मूजि का विवरण -

मैना	शाना	खानांक	रकवा	विवादिनरकवा
मंदरानो	सिया	110/831	3.22/2 मप्या 15	065/1

- चौहरी - डो पुषम पम का नीज मकान
 हू - मिरी पम का खबेला ली का मकान
 पू - मी चमिया हनी का नवाक
 प - सिया कोपर ली हू।

इस आवेदन के आवेक में शाना उमादी
 सिया के पत्रांक 1836/19 कि. 09/10/19. पर
 अचि प्रमिषन प्राप्त हई। शाना उमादी
 के अचि प्रमिषन के अवलोकन ले पता
 चलता है कि उमय पमी के बीच अमीन
 लवेदी विवाद की लेकर तनाव बना हुआ है। उक्त
 मुक्ति पर बल्ल की लेकर कमी की परिधानी
 मंग होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में
 उमय पमी के विरुद्ध चार्ज 145 हू 50 ल के
 तहत कारवाई करना आवश्यक प्रतीत होता है।
 जिसके विषय व्यवस्था में एतद्वारा स्पष्ट नहो
 भारतीय निगत करे। अंतर्लेख क्रमांक 22/11/19 को रखा

विवाहित स्त्री का विवरण :-

क्र. सं.	पति	पता	प्राति	रकबा
मैदान	सरिया	110/831	2205	3.20 एम.एस. 11.51.06570

पैदा 30 प्रथम पत्र के नीचे, एक द्वितीय पत्र का मकान
पु. नालाव, प. - सरिया बगोदर री.ड.

कार्यपालक
(अधिकारी) मण्डल-उपनिष्ठा

कार्यपालक वण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

02/11/19

अभिलेख उपस्थापित। उभय पत्र उपस्थित।

प्रथम पत्र कपत अधिवक्ता के सम्मुख
कार्यवाही किया गया।

अभिलेख दिनांक 13/12/19 को रखा।

कार्यपालक वण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

13/12/19

अभिलेख उपस्थापित। निरचन कार्य के कारण
पीछलीन पत्र अन्य कार्य में रखा।

अभिलेख दिनांक 03/1/20 को रखा।

कार्यपालक वण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

03/1/20

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र उपस्थित।

द्वितीय पत्र उपस्थित। अभिलेख दिनांक 03/1/20

को रखा।

कार्यपालक वण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

27/11/2020 अभिनेत्र उपचारित, क्षीम पत्र संलग्न
प्रथम पत्र निलंबित मूल उपचारित

क्षीम पत्र उपचारित | क्षीम पत्र के
द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन लेकर
सूचना ले गई कि प्रथम पत्र के लिए पिछले 28/2/19
को रखी उक्त आवेदन के आकांक्षित
में विवरित रूबि पर अवांछित वहाल करने हेतु
कार्य प्रगती लीया का निर्णय दिया गया

कार्यपालक डा. वि. ...
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

28/2/2019 अभय पत्र उपचारित | प्रथम की और

अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन लेकर
सूचित कि विवरित रूबि की-पॉइंट-में
सुधार करने हेतु अनुसंधान किया गया।
अनुसंधान का निष्कर्ष किया गया।

अन्य प्रगती- at सूचना ले अन्त प्रगती
की दिनांक 66 दिनांक 29/2/2020
पर-प्रगती हेतु

कार्यपालक डा. वि. ...
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

6/7/2021

उभय पक्ष मनु०। डिग्रीय पक्ष उप०।
ममिलेख दिनांक 20/7/21 हो रहे।

॥ २ / ६/२१
मनु० दण्डाधिकारी
बजौरा-सतिया

20/7/2021

उभय पक्ष मनु०।
ममिलेख दिनांक 2/8/2021 हो रहे।

मनु० दण्डाधिकारी
बजौरा-सतिया

3/8/2021

उभय पक्ष मनु०।
ममिलेख दिनांक 4/8/2021 हो रहे।

मनु० दण्डाधिकारी
बजौरा-सतिया

4/8/2021

उभय पक्ष मनु०।
To 17/08/21

॥ २ / 04/08

17/8/2021

उभय पक्ष मनु०।
To 31/08/21

॥ २ / 19/08

31/8/2021

उमय पक्ष अनु०। मभिलेख दिनांक 14/9/2021
को रखें।

14/9/2021

उमय पक्ष अनु०।

To 28/09/21

१८ $\frac{2}{14/09}$

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगौर-सरिया

28/9/21

उमयपक्ष अनु०। अनुमण्डल मन्त्र दार्जिले में
पत्र। मभिलेख दिनांक 26/10/21 को रखें।

26/10/2021

उमय पक्ष अनु०। उमय पक्ष
बगौर विगत कई तिथियों से
अउपस्थित हैं। ऐसा उतीत होता
है कि उनके बाद में कोई रजिस्ट्रार
है, अतः बाद की कार्यवाही समाप्त
की जाती है।

१८ $\frac{2}{26/10}$

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगौर-सरिया (गिरिडीह)